रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र
# Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19112026-278065
SG-DL-E-19112026-278065

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2026/कार्तिक 27, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 290
No. 344] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2026/KARTIKA 27, 1948 [N. C. T. D. No. 290

## भाग IV
## PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
## GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

## अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2026

**एफ. सं. स्वा0 एवं परि0 कल्या0 वि0/74/2026-परिषद-स्वा0 परि0 कल्या0 वि0/1685.—** दिल्ली चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1997 (1997 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 3 तथा धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतदद्वारा दिल्ली चिकित्सा परिषद के सदस्यों के नाम प्रकाशित करती है, अर्थात्:-

| क्र.सं. | नाम | खंड जिसके अंतर्गत मनोनीत/निर्वाचित |
|---|---|---|
| 1 | डॉ. अजय कुमार | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (क) |
| 2 | डॉ. हंस राज बावेजा | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (क) |
| 3 | डॉ. एस.के. टंडन (डॉ. सर्वेश कुमार टंडन) | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (क) |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | डॉ. विनोद कुमार मोंगा | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (क) |
| 5 | डॉ. विवेक जंगीरा - लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (ख) |
| 6 | डॉ. मनीष नारंग - यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (ख) |
| 7 | डॉ. मनीष कुमथ - वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (ख) |
| 8 | डॉ. अमरिंदर सिंह मल्ही - अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (ख) |
| 9 | डॉ. नेहा गोयल - आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (ख) |
| 10 | प्रो. मुशर्रफ हुसैन - हमदर्द चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (ख) |
| 11 | डॉ. तरु गुप्ता - ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बसईदारापुर | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (ख) |
| 12 | डॉ. पुलिन कुमार गुप्ता - अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (ख) |
| 13 | डॉ. विनय कुमार तिवारी - उत्तरी दिल्ली नगर निगम मेडिकल कॉलेज | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (ख) |
| 14 | डॉ. मुनीषा अग्रवाल- मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (ख) |
| 15 | डॉ. प्रकाश लालचंदानी | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (सी) |
| 16 | डॉ. मंजूषा गोयल | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (सी) |
| 17 | डॉ. अजय बेदी | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (सी) |
| 18 | डॉ. पीयूष जैन | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (सी) |
| 19 | डॉ. राकेश कुमार गुप्ता | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (सी) |
| 20 | डॉ. अशोक कुमार ग्रोवर | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (सी) |
| 21 | डॉ. अश्विनी डालमिया | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (सी) |
| 22 | डॉ. विपेंद्र सभरवाल | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (सी) |
| 23 | डीन, दिल्ली विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय - (पदेन) | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (घ) |
| 24 | निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार क – (पदेन) | धारा (3) की उपधारा (3) का खंड (ङ) |

उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष होगा।

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

शरत कुमार, उप-सचिव (परिषद)/एलओ

## HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2026

**F. No. DH&FW/74/2026-COUN-HFW Department/1685.**— In exercise of the powers conferred by section 3 and sub section (1) of section 4 of the Delhi Medical Council Act, 1997 (Delhi Act 5 of 1997), the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to publish the names of members of the Delhi Medical Council, namely:-

| S.No. | Name | Clause under which nominated/elected |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Ajay Kumar | Clause (a) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 2 | Dr. Hans Raj Baweja | Clause (a) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 3 | Dr. S.K Tandon (Dr. Sarvesh Kumar Tandon) | Clause (a) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 4 | Dr. Vinod Kr. Monga | Clause (a) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 5 | Dr. Vivek Jangira - Lady Hardinge Medical College | Clause (b) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 6 | Dr. Manish Narang - University College of Medical Sciences | Clause (b) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 7 | Dr. Manish Kumath - Vardhman Mahavir Medical College | Clause (b) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 8 | Dr. Amarinder Singh Malhi- All India Institute of Medical Sciences | Clause (b) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 9 | Dr. Neha Goel - Army College of Medical Sciences | Clause (b) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 10 | Prof. Musharraf Husain - Hamdard Institute of Medical Sciences and Research | Clause (b) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 11 | Dr. Taru Gupta - ESIC Medical College & Hospital, Basaidarapur | Clause (b) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 12 | Dr. Pulin Kumar Gupta - Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences | Clause (b) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 13 | Dr. Vinay Kumar Tiwari - North Delhi Municipal Corporation Medical College | Clause (b) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 14 | Dr. Munisha Agarwal – Maulana Azad Medical College | Clause (b) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 15 | Dr. Prakash Lalchandani | Clause (c) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 16 | Dr. Manjusha Goel | Clause (c) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 17 | Dr. Ajay Bedi | Clause (c) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 18 | Dr. Piyush Jain | Clause (c) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 19 | Dr. Rakesh Kumar Gupta | Clause (c) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 20 | Dr. Ashok Kumar Grover | Clause (c) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 21 | Dr. Ashwini Dalmiya | Clause (c) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 22 | Dr. Vipender Sabherwal | Clause (c) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 23 | Dean, Medical Faculty, University of Delhi (Ex-officio) | Clause (d) of Sub-Section (3) of Section (3) |
| 24 | Director, Health Services, G. N. C. T. of Delhi – (Ex-officio) | Clause (e) of Sub-Section (3) of Section (3) |

Subject to provisions of the aforesaid Act, the term of office of the above members shall be five years from the date of publication in the official Gazette.

This issues with the prior approval of Hon'ble LG, Government of National Capital Territory of Delhi.

SHARAT KUMAR, Dy. Secy. (Council)/L.O.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.